

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
ERTS-I RHQ, PATNA

INTER OFFICE MEMO

From: Asst. Manager (Law)

To: Sr. GM (Comml.) & CPIO

Ref No: ER-I/Pat/Law/

Date: 13.04.2020

Through: Sr. DGM (HR)

Sub: Application of Sh. Abhijit Kumar Sadhu, Advocate Cum Additional Standing Counsel, Government of India, S.N.B.M. Bhawan, Second Floor, Chamber No. 8, Civil Court, Dhanbad, under the Right to Information Act, 2005.

Ref: Your letter under reference PG/ER-I/RHQ/RTI-242/2019-20/3878, dated 05.03.2020.

Reply of above mentioned application is attached herewith & marked as Annexure- A, for further needful at your end please.

आशीष त्रिपाठी
13/04/2020
(Ashish Tripathi)

Encl: As mentioned above.

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन के उत्तर के संबंध में.

संदर्भ: श्री अभिजीत कुमार साधू, Advocate Cum Additional Standing Counsel, GOI, एस. एन. बि. एम. भवन, द्विवितीय तल, चेम्बर न 8, सिविल कोर्ट, धनबाद-826001, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के उत्तर के सम्बंध मे.

उपरोक्त आवेदन का बिंदुवार उत्तर निम्नलिखित है:

1. Power Grid Corporation of India Ltd., उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक लोक उद्यम है. आवेदन के क्रमांक एक में संदर्भित कानून एवं न्याय मंत्रालय आदेश - F. No. - J-11015/8/2018, Judicial (Part-1), दिनाक- 03.08.2018, F.NO.-J-11017/13/2018, Judicial, दिनाक- 07.03.2019, व F.NO.-J-12017/1/019, Judicial दिनाक- 21.10.2019, POWERGRID पर लागू नहीं होते हैं.
2. चूँकि आवेदन के क्रमांक एक में संदर्भित आदेश POWERGRID पर लागू नहीं होते हैं, इसलिये आवेदन के क्रमांक 2 मे माँगी गयी सूचना का औचित्य नहीं है.
3. POWERGRID के द्वारा एवं उसके विरुद्ध दायर किए गए मुक़दमे जो न्यायालय वा अधीनस्थ न्यायालय में हैं, उनकी स्थिति और संख्या पब्लिक डोमेन (e-Court) में उपलब्ध है, अतः क्रमांक 3 में माँगी गई सूचना देने का कोई औचित्य नहीं है.
4. Eastern Region-I, POWERGRID कार्यालय द्वारा अधिवक्ता का पैनल नहीं बनाया जाता है, अतः इसकी सूची उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है.
5. चूँकि Eastern Region-I, POWERGRID कार्यालय द्वारा अधिवक्ता का पैनल नहीं बनाया जाता है, इसलिये आवेदन के क्रमांक 5 में माँगी गई सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है.

अभिजीत त्रिपाठी

6. चूंकि आवेदन के क्रमांक तीन में माँगी गई सूचना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, अतः आवेदन के क्रमांक छः में निरीक्षण के लिए मांगे गये समय, दिन और जगह की सूचना उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है.

आशीष त्रिपाठी
13/09/2020
(Ashish Tripathi)

आशीष त्रिपाठी